बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

आदेश संख्या :– 15/खा०–24–05/2020 – 447(15) (स्वा०) पटना, दिनांक :– 13.04.2020

तम्बाकू का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। यत्र–तत्र थूकने की प्रवृत्ति (Spitting) जन–स्वास्थ्य के लिये खतरा है और संचारी रोगों के फैलने का एक प्रमुख कारण है। थूकने के कारण कई गम्भीर बीमारियों यथा कोरोना (COVID-19), इन्सेफलाईटिस, यक्ष्मा, स्वाईन फ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की प्रबल सम्भावना रहती है। तम्बाकू, पान–मसाला आदि सेवन करने वाले लोग गंदगी फैलाकर वातावरण को दूषित करते हैं जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थिति तैयार होती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा "कोरोना वायरस (COVID-19)" को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा इस विश्वव्यापी महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु कई तरह के दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धसरकारी पत्र संख्या–Z.21020/19/2020-TC, दिनांक – 10.04.2020 के माध्यम से ICMR के द्वारा "धुआँ रहित तम्बाकू पदार्थ के प्रयोग तथा सार्वजनिक स्थलों पर न थूकने " की अपील के बारे में अवगत कराया गया है।

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि विरूद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा, जिससे मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो– उस व्यक्ति को छः मास की अवधि तक का कारावास एवं/अथवा रु० 200/– (दो सौ) तक के जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा–4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दंड स्वरूप 200/–रूपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

तम्बाकू सेवन के उपरान्त उसे यत्र–तत्र थूकने को निषिद्ध करने से वातावरण को स्वच्छ रखने में भी सहयोग मिलेगा। साथ ही यह कदम राज्य सरकार के "कोरोना (COVID-19)", जैसी महामारी से बचाने तथा "स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत" अभियान में अहम योगदान होने के साथ ही जन–स्वास्थ्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।

उक्त के आलोक में Epidemic Diseases Act, 1897 के अंतर्गत The Bihar Epidemic Diseases COVID-19 Regulation, 2020 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन–स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य के सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे– रोड, गली, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान परिसर तथा सभी थाना परिसर इत्यादि में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग कर यत्र–तत्र थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, बिहार, पटना के आदेश संख्या–24, दिनांक : 10.06.2019 के माध्यम से गुटखा के उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध भी वर्त्तमान में लागू है। यदि कोई व्यक्ति, पदाधिकारी, कर्मचारी या आगन्तुक उक्त आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उल्लंघन–कर्त्ताओं पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/–
(संजय कुमार)
प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

P.T.O

ज्ञापांक :– 15–खा०–24–05/2020 – 447(15) (स्वा०) पटना, दिनांक :– 13.04.2020

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/कृषि उत्पाद आयुक्त, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. महामहिम राज्यपाल/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव–स्वास्थ्य/शिक्षा/योजना एवं विकास/वित्त/गृह/पंचायती/श्रम संसाधन/शहरी विकास/सामान्य प्रशासन /पी0एच0ई0डी0/उद्योग/कृषि/सूचना एवं जन–संपर्क विभाग/वाणिज्यकर विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
9. सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
10. सभी प्राचार्य/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10\. कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकनोमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित।

11\. आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु अनुपालनार्थ प्रेषित।

Kamal 13/4/20
अपर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।